



राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015

टेलीफोन नं. 0141-2706830, 2941098, ई-मेल-rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक: प. ()रा.मु./2026-27/3144

दिनांक: २०/०७/2026

सर्कल ऑर्गेनाइजर (स्काउट/गाइड)

जिला मुख्यालय समस्त।

विषय :- राज्य स्तरीय प्रेसिडेंट/राज्य पुरस्कार रोवर/रेंजर प्रशिक्षण शिविर दिनांक 8 से 12 सितम्बर, 2026 तक स्काउट/गाइड प्रशिक्षण केन्द्र आबू पर्वत।

प्रसंग :- वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 के अनुसार।

सत्र 2026-27 के निर्धारित वार्षिक कार्यक्रमानुसार राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के तत्वावधान में प्रेसिडेंट स्काउट/रोवर प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 8 से 12 सितम्बर, 2026 तक आबू पर्वत स्काउट/गाइड प्रशिक्षण केन्द्र नं. 1 पर किया जा रहा है। शिविर संबंधी आवश्यक सूचनाएं निम्न प्रकार है :

- शिविर का नाम :- राज्य स्तरीय प्रेसिडेंट/राज्य पुरस्कार रोवर/रेंजर प्रशिक्षण शिविर
- स्थान :- स्काउट/गाइड प्रशिक्षण केन्द्र नं. 1, ओल्ड गोल्फ कोर्स, आबूपर्वत
- तिथियाँ :- 8 से 12 सितम्बर, 2026
- पहुँच :- प्रथम दिवस प्रातः 10.00 बजे तक शिविर स्थल पर पहुँचना है। शिविरावधि में कोई अवकाश नहीं दिया जावेगा।
- सम्पर्क :- 1. सम्पर्क - श्री जितेन्द्र भाटी, सी.ओ. आबूपर्वत मो.नं. 8003097176
2. श्री एल. आर. शर्मा, सी.ओ. रा.मु. जयपुर मो. नं. 8003097155
- योग्यता :- 1. निपुण व राज्य पुरस्कार उर्त्तीण रोवर/रेंजर हो।
(निपुण/राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र की फोटो प्रति साथ लावें।)
2. पूर्ण स्वस्थ हो तथा किसी प्रकार के संक्रामक रोग से पीडित न हो।
3. OYMS में सक्रियता हो।
4. स्वयं का BSG UID No. साथ लावें।
5. विद्यालय ट्रप/रोवर क्रू की BSG UID हो।

शुल्क	रोवर	रेंजर	रोवर लीडर/रेंजर लीडर
विकास शुल्क	30.00	30.00	30.00
पंजीकरण शुल्क	20.00	20.00	20.00
योग	50.00	50.00	50.00

पंजीकरण :- संलग्न आवेदन पत्र भरकर दिनांक 20.08.2026 तक मण्डल मुख्यालय को भेजकर पंजीकृत करवाना होगा। मण्डल मुख्यालय संपूर्ण पंजीकरण आवेदन राज्य मुख्यालय पर दिनांक 25.08.2026 तक अवश्य भिजवायें। शुल्क राशि शिविर में पहुँचते ही जमा करानी होगी। रोवर/रेंजर का शुल्क संबंधित महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

आवंटित संख्या :- मण्डल आवंटित संभागी संख्या निम्नानुसार हैं। यदि किसी जिले से ज्यादा संख्या हो तो राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

क्र.सं.	मण्डल	प्रेसिडेंट रोवर	रा. पु.रोवर	योग	प्रेसिडेंट रेंजर	रा. पु. रेंजर	योग	महायोग
1	अजमेर	4	8	12	4	8	12	24
2	भरतपुर	4	8	12	4	8	12	24
3	बीकानेर	5	10	15	5	10	15	30
4	जयपुर	4	8	12	4	8	12	24
5	जोधपुर	6	12	18	6	12	18	36
6	कोटा	4	8	12	4	8	12	24
7	उदयपुर	6	12	18	6	12	18	36
	योग	33	66	99	33	66	99	198

आवास व्यवस्था	:-	आवास व्यवस्था एसोसिएशन द्वारा तम्बूओं/हट में की जावेगी। रोवर लीडर/रेंजर लीडर भी अपनी टोली के साथ हट/तम्बू में ही रहेंगे।
भोजन व्यवस्था	:-	(अ) संभागीयों को चाय नाश्ता व भोजन केन्द्रीय मैस से बना बनाया उपलब्ध कराया जावेगा, जो अपनी-अपनी टोलियों में खाना होगा। (ब) भोजन व चाय नाश्ता करने हेतु आवश्यक बर्तन (प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास) साथ लाने होंगे।
सामग्री	:-	प्रत्येक संभागी अपने साथ निम्नांकित सामग्री लावेगें - स्काउट विभाग ए.पी.आर.ओ. भाग-II व गाइड विभाग ए.पी.आर.ओ. भाग-III के अनुसार एक जोड़ी सही व पूर्ण स्काउट गाइड पोशाक, बदलने के कपड़े, मौसम के अनुसार बिस्तर, टूथ ब्रश, तेल, कांच, कंघा, सई धागा, बटन, ओडोमास ट्यूब, टार्च, पैन, पेंसिल, नोटबुक, पैमाना, रस्सी, कलर, खाने के बर्तन आदि। इसके साथ दक्षता बैज प्रशिक्षण सामग्री, साहित्य, 100 पृष्ठ की नोट बुक अपने साथ लावेगें अन्यथा नोटबुक कैम्प में स्वयं को खरीदनी होगी। विशेष- बरसात का मौसम होने के कारण प्लास्टिक ग्राउण्ड शीट, रेनकोट/छाता व टार्च साथ लाना अनिवार्य हैं।
यात्रा व्यय	:-	संभागी रोवर्स/रेंजर्स को यात्रा व्यय विद्यालय/महाविद्यालय छात्र कोष से देय होगा। रोवर्स/रेंजर्स के साथ आने वाले रोवर/रेंजर लीडर्स को नियमानुसार यात्रा भत्ता राज्य सरकार के आदेशानुसार शिक्षा विभाग/महाविद्यालय से देय होगा। इसके लिए प्रस्थान करने से पूर्व समक्ष स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। विद्यालय के रोवर/रेंजर लीडर्स को यात्रा भत्ता राज्यादेश सं. एफ 8(12) शिक्षा ग्रुप- 4/76 दिनांक 26.11.76 के अनुसार एवं महाविद्यालय के रोवर/रेंजर लीडर्स को एफ 8(स्काउट) अकादि/अकाशि/2006/60 दिनांक 12.01.2007 के अनुसार राजकोष से देय होगा, इसके लिए नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृत प्राप्त कर शिविर में भाग लें।
आवश्यक दस्तावेज	:-	- निपुण व राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र की फोटो प्रति। - प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति जांच से संबंधित लॉगबुक व दक्षता बैज के प्रमाण पत्र। - टेस्ट कार्ड - रोवर/रेंजर यूनिफार्म में पासपोर्ट साइज फोटो। - रोवर/रेंजर लीडर के बेसिक कोर्स प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी। - रोवर/रेंजर लीडर के वारंट की फोटो प्रति।

संलग्न :- पंजीकरण प्रपत्र

Peking
(डॉ. पी. सी. जैन)
राज्य सचिव

दिनांक: 20/07/2026

क्रमांक:- प- ()रा.मु./26-27/3145-3151

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. राज्य मुख्यालय के पदाधिकारीगण
2. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) समस्त को प्रेषित कर निवेदन है कि शिविर हेतु चयनित ग्रुपों की सूचना राज्य मुख्यालय को दिनांक 25 अगस्त, 2026 तक अवश्य भिजवावें।
3. मण्डल मुख्यायुक्त एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुख्यालय, समस्त।
4. सर्कल ऑर्गेनाइजर(स्काउट), आबूपर्वत को प्रेषित कर लेख है कि शिविर की व्यवस्थाएं करें एवं शिविर समाप्ति पर रिपोर्ट भिजवावें।
5. प्राचार्य/संस्था प्रधान
6. लिपिक ग्रेड - II, कम्प्यूटर शाखा राज्य मुख्यालय को ई-मेल व वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. लेखाशाखा, राज्य मुख्यालय, जयपुर।

Peking
राज्य सचिव

पंजीकरण प्रपत्र

ग्रुप का नाम जिला

[illegible]

ह. सी. ओ. (स्का./गा.)	ह. संस्था प्रधान/प्राचार्य	ह. रोवर/रेंजर लीडर
ह. सहा राज्य संगठन आयुक्त		